# <u>कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ</u>

संख्या–एम0ई0–3/2020/ 2278 लखनऊःदिनांक 21 नवम्बर,2020

**<u>यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की द्वितीय चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग की समय सारणी</u>**

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) में प्रवेश हेतु यू0पी0 नीट यू0जी0 2020 की द्वितीय चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु समय–सारणी निम्नवत् हैः–

| | |
|---|---|
| आन लाईन पंजीकरण की तिथि | दिनांक 24 नवम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 26 नवम्बर 2020 तक |
| पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की तिथि | दिनांक 27 नवम्बर 2020 |
| पंजीकृत अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा धरोहर धनराशि (Security Money)जमा करने की तिथि | दिनांक 02 दिसम्बर 2020 से दिनांक 05 दिसम्बर 2020 तक |
| विकल्प भरे (Choice filling) जाने की तिथि | दिनांक 12 दिसम्बर 2020 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 14 दिसम्बर 2020 तक |
| सीट आंवटन हेतु परिणाम की घोषणा | दिनांक 16 दिसम्बर 2020 |
| आवंटन पत्र डाउनलोड किये जाने तथा प्रवेश लेने की तिथि | दिनांक 17 दिसम्बर 2020 से दिनांक 21 दिसम्बर 2020 तक |

- प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण (Re -registration) कराने की आवश्यकता नही है।
- प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण शुल्क (Registration fee) नही जमा हो सका है तो वह अपना पंजीकरण शुल्क जमा करके द्वितीय चक की कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।
- प्रथम चक की काउंसिलिंग के लिये पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होने अपना प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Document Verification) करा लिया है, उन्हे पुनः प्रमाण पत्रों के सत्यापन (Document Verification) कराने की कोई आवश्यकता नही है।
- प्रथम चक की कांउसिलिंग के लिये पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होने प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Document Verification) नही कराया था उन्हे अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही द्वितीय चक की कांउसिलिंग हेतु अर्ह होगें।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक की काउंसिलिंग से सीट आवंटित हो गयी है और प्रवेश नही लिया है तथा द्वितीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थी निर्धारित धरोहर धनराशि (Security Money) का सी0टी0एस0 बैंक डी0डी0 वैरीफिकेशन नोडल सेन्टर पर जमा कर द्वितीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक की कांउसिलिंग हेतु अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Document Verification) करा लिया था, किन्तु कोई प्रमाण–पत्र की कमी रह गयी थी, तो उसे संबंधित नोडल सेन्टर पर सत्यापन करा सकते है।**
- अभिलेखों के सत्यापन तथा प्रवेश के समय मूल शैक्षिक/जाति प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- विगत सत्रों के माध्यम से प्रदेश में बी0डी0एस0/बी0ए0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्ययरत् अभ्यर्थियों को संबधित कालेज द्वारा मूल अभिलेख जमा होने के संबंध में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नये पंजीकृत अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश नही लिया है, को राजकीय क्षेत्र (Medical/ Dental) की सीटों हेतु रू0 30,000/–एवं निजी क्षेत्र की मेडिकल कालजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000/–एवं निजी क्षेत्र की डेंटल कालेज की सीटों हेतु रू0 1,00,000/–सिक्योरिटी धनराशि का **सी0टी0एस0** बैक ड्राफ्ट जो **"महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0"(*<u>Director General, Medical Education & Training, U.P.</u>* payable at Lucknow)** के पक्ष मे देय होगा, अभिलेखों के सत्यापन के समय सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चक की कांउसिलिंग के माध्यम से रू0 1,00,000/– जमा करते हुये निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया गया है एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक है तो ऐसे अभ्यर्थियो को रू0 1,00,000/– का अतिरिक्त डी0डी0 सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय चक की कांउसिलिंग में **Choice** भरने के उपरान्त **Choice Lock** करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवंटन प्रक्रिया में सम्मलित नही किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***<u>https://upneet.gov.in & www.updgme.in</u>*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

for महानिदेशक